# फर्द अहकाम

भगवान सहाय **बनाम** सरकार

**न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी**

**स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :** प्रार्थना पत्र 180/2023

| या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 23.12.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया।<br><br>दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि कि भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 18.8537 है०, खसरा नं. 16 रकबा 23.9632 है०, खसरा नं. 177/112 रकबा 2.9463 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 40.4387 है० ग्राम केल्यावाला, पटवार हल्का करणगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर में स्थित है भूमि वादग्रस्त के साबिका राजस्व रिकार्ड के आधार पर रिकार्डेड खातेदार प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व. गंगाराम वल्द जीवन थे एवं प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व. गंगाराम वल्द जीवन के मृत्यू के बाद उनके पुत्रान रामपाल, इन्द्राज, पांचू भूमिवादग्रस्त पर काबिज होकर काश्त करने लग गये थे एवं स्व. गंगाराम वल्द जीवन के पुत्र इन्द्राज, पांचू, रामपाल के कब्जे मुताबिक प्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि वादग्रस्त प्रार्थीगण की पेतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 18.8537 है, में से 14.83 हेक्टेयर भूमि को व भूमिवादग्रस्त हाल खसरा नं 16 रकबा 23.9623 हैक्टेयर में से 19.85 हेक्टेयर भूमि को व भूमिवादग्रस्त हाल ख. नं. 177/112 रकबा 2.9463 हैक्टेयर में से 2.12 हैक्टेयर भूमि को व भूमि वादग्रस्त हाल ख. नं. 22 रकबा 40.4387 हेक्टेयर में से 24.55 हेक्टेयर भूमि को जोकि वाके ग्राम केल्यावाला, पटवार हल्का करणगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा जिला जयपुर में स्थित है के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ता–फैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, न ही पुब्ता निर्माण करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाले, न ही किसी भी व्यक्ति या संस्था को हस्तानान्तरण करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। | |

# फर्द अहकाम

भगवान सहाय बनाम सरकार

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 180/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। <br><br> पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि भूमिवादग्रस्त के हाल खसरा नं. के साबिका राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज रहा है एवं भूमिवादग्रस्त के कब्जे के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है अतः उचित समझते हुऐ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है मूलवाद संख्या 198/2023 उनवान भगवान सहाय बनाम सरकार के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नं. 13, 16, 177/112, 22 स्थित ग्राम केल्यावाला तह. तूंगा जिला जयपुर पर यदि प्रार्थीगणों का कब्जा पाया जाता है तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीगणों को बेदखल नही करें। <br><br> पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो। <br><br> 23/1/24 <br> सहायक कलक्टर <br> बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण <br> सहायक कलक्टर <br> बस्सी जिला-जयपुर |